बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या– FC/19/2021-840

प्रेषक,

सी. पी. खण्डूजा, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 14/09/2022

विषय– श्रीमती बबीता झा द्वारा बांका जिलान्तर्गत खरहारा मौजा के खाता संख्या–227 / 149, खेसरा संख्या–42 / 53, तालुका–बाराहाट में भागलपुर–दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0108 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/120971/2021/456, दिनांक 03.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 17.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 03.08.2021 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 7,71,390.00 (रू० सात लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank Transaction No. 6077020220811639215 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 9473191728

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.0108 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated ………….	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.0108 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 10,344/– (दस हजार तीन सौ चौवालीस रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank Transaction No. 6077020220811639215 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal ……..	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 11.08.2022 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance	जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State ……………..	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD undertake approvprivate …………….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be ………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under ……………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ……	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन कर लिया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पथ निर्माण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.0108 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(सी. पी. खण्डूजा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 9473191728

ज्ञापांक– FC/19/2021-840　　　　　　　　　दिनांक– 14/09/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर /वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका एवं श्रीमती बबीता झा, पति–श्री भवलोष झा, ए.–205, भी.आई.पी. एन्क्लेव–1, भी.आई.पी. पथ, बीग बाजार के सामने, रघुनाथपुर, जिला–उत्तर परगनास, पश्चिम बंगाल–700059 को सूचना हेतु प्रेषित।

14/09/22

(सी. पी. खण्डूजा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com;　　　　मो० 9473191728

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Banka/ Banka Forest Division, Banka.
3	Name of User Agency nature of proposal	Smt. Babita Jha/IOCL Retail Outlet
4	Extent of forest area involved	0.0108 Ha.
5	Whether Original, or extension	Original
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-
7	Date of 1st stage Clearance	03.08.2022
8	**Extent of CAMPA charges head wise viz.**	
	a.Compensatory Afforestation	7,71,390.00
	b. Additional CA	-NA-
	C. Penal CA	-NA-
	d. Catchment Area Treatment	-NA-
	e. Wildlife Management Plan	-NA-
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-
	g. Net present Value	10,344.00
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	see table below
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. 11.08.2022
12	Any other remarks	

S.No	MODE Remtt.	Transaction No. & Date	Amount	Head
1	e-challan	6077020220811639215 dt. 11.08.2022	10,344/-	NPV
2			7,71,390/-	CA
		Total-	7,81,734/-	

14/9/22

(C. P. Khanduja)
Signature of APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 9473191728

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 17/08/2022

विषय– श्रीमती बबीता झा द्वारा बाँका जिलान्तर्गत खरहारा मौजा के खाता संख्या–227/149, खेसरा संख्या 42/53, तालुका–बाराहाट में भागलपुर–दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0108 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक FC/19/2021-748 दिनांक 11.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/120971/2021/456, दिनांक 03.08.2022 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग–A में 1 से 6 एवं भाग–B में 1 से 9 शर्त्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ–

भाग–A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 7,71,390/– मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank's Transaction No. 607702022081163 9215 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0108 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 10,344/– बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank's Transaction No. 607702022081163 9215 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi के खाता में दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(47)

6. मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry के Website- http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग–B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगी।

2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 7,71,390/– मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank's Transaction No. 6077020220811639215 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।

4. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

6. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

7. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8 (a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन,

Babita Jha

बबीता झा,
पति श्री भवतोष झा,
ए–205, भी.आई.पी., एन्क्लेव–1,
भी.आई.पी. पथ, बीग बाजार के सामने,
रघुनाथपुर, जिला उत्तर परगन्ना,
पश्चिम बंगाल–700059

6077020220
811639215 Challan

(46)

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 11-08-2022

Client Code.	CAM5062
Location.	BIHAR
Remitter Name.	SMT. BABITA JHA
PIF/Application No.	70120971831
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/120971/2021
Address.	W/o SH. Bhavatosh Jha, A-205, VIP Enclave-1, VIP Road, Opp-Big Bazar, RaghunathpurNorth 24 Parganas
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	bhavatoshjha1706@gmail.com 9006004031 9006-004031
Amount(in Rs)	781734/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words :Seven Lakh Eighty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

UNION BANK OF INDIA यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India Bhawanipur Branch, Kolkata भवानीपुर शाखा, कोलकाता

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

/ send a line of confirmation through Email: helpdes

llan, if the payment status has not been updated eve
on date to

Print

38116 39215

5062

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया UNION BANK OF INDIA Union Bank of India भवानीपुर शाखा, कोलकाता Bhawanipur Branch, Kolkata

enCorp.aspx?pid=APPROACH1209712021831

(45)

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका।

आजाद चौक, बाबू टोला, बांका–813102
E-mail–dfo.banka@gmail.com

पत्रांक– 1041

प्रेषक,

अभिषेक कुमार सिंह,(भा0व0से0)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

756
दिनांक 11/07/2022
(कैम्पा एवं वन संरक्षण प्रभाग)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

बांका, दिनांक–09/07/2022

विषय :– बांका जिलान्तर्गत श्रीमती बबीता झा द्वारा खरहरा मौजा के खाता संख्या–227/149, खेसरा संख्या–42/53, तालुका–बाराहाट में भागलपुर–दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 0.0108 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रमाण–पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका का पत्रांक–960/क0 दिनांक–05–07–2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, विषय से संबंधित FRA-2006 प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उक्त FRA-2006 प्रमाण–पत्र की 01 (एक) प्रति E-mail के माध्यम से भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, FRA-2006 प्रमाण–पत्र स्वीकार करने की कृपा की जाय।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

ज्ञापांक– 1041 दिनांक– 09/07/2022

प्रतिलिपि–अनुलग्न सहित अतिरिक्त प्रति के साथ वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

नीरज
09/07/22

(44)

समाहरणालय बांका
(कल्याण शाखा)
पत्रांक– 960 /क0

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
बांका।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

बांका, दिनांक 05/07 2022.

विषय :– बांका जिलान्तर्गत श्रीमती बबीता झा द्वारा खरहारा मौजा के खाता संख्या–227 / 149, खेसरा संख्या–42 / 53 तालुका–बाराहाट में भागलपुर–दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 0.0108हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रमाण–पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–463, दिनांक–18.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में बांका जिलान्तर्गत श्रीमती बबीता झा द्वारा खरहारा मौजा के खाता संख्या–227 / 149, खेसरा संख्या–42 / 53 तालुका–बाराहाट में भागलपुर–दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 0.0108हे0 वनभूमि के रैखिक विकास परियोजना हेतु प्रमाण–पत्र का मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
05.07.22
जिला कल्याण पदाधिकारी
बांका।

43

कार्यालय, जिला पदाधिकारी,बांका के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक– 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत

संख्या 960 **दिनांक** 05/07/22

प्रमाणित किया जाता है कि ***बाँका*** जिले में प्रयोक्ता एजेंसी *श्रीमती बबीता झा* द्वारा IOCL *का रिटेल आउटलेट स्थापित करने* हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थान खरहारा मौजा, तालुका–बाराहाट, *भागलपुर–दुमका* पथ के कुल–*20.4 मी0* में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के *0.0108 हेक्टेयर* रकवा के अपयोजन (**Diversion**) हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी के आवेदन पर **वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका** के पत्रांक–463, दिनांक–18.03.2021 द्वारा **FRA, 2006** प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक–**13.12.2005** के पूर्व **75** वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रुप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गॉवो में वर्ष **2001** एवं **2011** की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान– बाँका
तिथि–

23.6.22

जिला पदाधिकारी, बांका का हस्ताक्षर एवं मोहर

जिला पदाधिकारी बांका

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest'' less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

23.6.22

Place :
Dated :

District Magistrate
and Office Seal

जिला पदाधिकारी